न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 145/2019

1. शम्भू पुत्र रूघनाथ जाति मीना निवासी बडोली तहसील दौसा जिला दौसा राज0।

...अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैंथल। ...रेस्पोडेन्ट

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार सैंथल दिनांक 10.01.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम शम्भू मु0नं0 452/2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री पदमसिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री चंद्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः 04.03.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, सैंथल ने दिनाक 10.01.2019 को ग्राम बडोली तहसील दौसा के आ0ख0नं0 1577 कुल रकबा 0.06 है0 किस्म सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता मे से 0.02 है0 भूमि पर संवत 2075 में सरसों की बुआइ कर अतिचार करने पर अपीलांट को दोषी मानते हुए बेदखली, पैनल्टी व 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा किसी भी रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का के बयान भी अपीलांट के समक्ष दर्ज नही किये है एवं जिरह का मौका भी नही दिया गया। अपीलांट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर कैफियत मे पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत संलग्न रिपोर्ट धारा 91 पर राजकीय सिवायचक किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि खसरा नं0 1577 रकबा 0.02 है0 पर सरसों की फसल बुआई कर अतिक्रमण करना अंकित किया है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील पर स्वयं अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित है जो पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आया है। अतःअपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट को कोई सुनवाई व सबूत

का अवसर नहीं दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलांट द्वारा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिचार किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को पटवारी हल्का की रिपोर्ट में राजकीय सिवायचक भूमि पर सरसों की काश्तकर अतिक्रमण करना अंकित किया है। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक की जांच अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए निर्णय दिनांक 10.01.2019 द्वारा बेदखली, पैनल्टी एवं 90 दिवस का सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न नकल खसरा परिवर्तनशील (पी–14) की छाया प्रति संलग्न है जिसमे अतिक्रमी द्वारा संवत 2075 मे उक्त भूमि के रकबा 0.01है0 पर बाजरा की काश्त की गई थी। इससे अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्ध होता है। अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं सबूत का अवसर नही दिया गया। अपीलांट द्वारा राजकीय सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर अतिक्रमण करना प्रमाणित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2019 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा